



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228577
CG-DL-E-30072021-228577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2789]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943

No. 2789]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SRAVANA 7, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 3002(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया और बोकरो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी - गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर

दी जाती है, 21 दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, जलपाईगुडी ज़िला, पश्चिम बंगाल राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

बरौनी & गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना अनुसूची							
राज्य: पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टेर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
जलपाईगुडी	राजगंज	पानीकौरी(५)	११५	610	00	07	41
				609	00	03	98
				608	00	03	32
				607	00	07	92
				606	00	01	39
				605	00	03	38
				604	00	03	18
				603	00	00	26
				653	00	09	82
				652	00	00	87
जलपाईगुडी	राजगंज	शिकारपुर(११)	१३८	666	00	01	62
				669	00	15	94
				675	00	07	53
				676	00	10	85
				677	00	05	68
				672	00	00	05
				705	00	01	07
				703	00	11	44

[फा. सं. 14014/48/2021-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2021

S.O. 3002(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro – Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of West Bengal, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ,(50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub – section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, Jalpaiguri District, State of West Bengal.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Jalpaiguri	Rajganj	Panikauri (05)	115	610	00	07	41
				609	00	03	98
				608	00	03	32
				607	00	07	92
				606	00	01	39
				605	00	03	38
				604	00	03	18
				603	00	00	26
				653	00	09	82
				652	00	00	87
		Shikarpur (11)	138	666	00	01	62
				669	00	15	94
				675	00	07	53
				676	00	10	85
				677	00	05	68
				672	00	00	05
				705	00	01	07
				703	00	11	44

[F. No. L-14014/48/2021-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.